

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक0प्रक0क0-629 / 13
संस्थापित0दि0 30 / 12 / 13
फाईल0नं.233504000442013

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

:- विरुद्ध :-

कडु उर्फ लक्ष्मीबाई पति दिनेश मोरले, उम्र 35 वर्ष,
 जाति मेहरा, पेशा मजदूरी, ग्राम खानापुर,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियुक्त**

:- निर्णय :-

(आज दिनांक-20/08/2016 को घोषित)

1- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 294, 323, एवं 506 भाग-2 के तहत अभियोग है कि दिनांक 27/12/13 के 12:00 बजे ग्राम खानापुर आरोपी की गली के पास, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान या उसके समीप है फरियादी लक्ष्मी मोरले को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया, आपने फरियादी को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, आपने फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

2- अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम खानापुर रहती है। मजदूरी करती है। दिन शुक्रवार दिनांक 27.12.13 के दोपहर करीबन 12 बजे की बात है वह उसकी भैंसी चराने हकेल के ले जा रही थी कि उसकी भैंस ने कडु मोरले के घर के सामने तुलसी का पौधा चर लिया इसी बात को लेकर कडूबाई मोरले आई और उसका हाथ पकड़कर उसे गिरा दिया और हाथ मुक्का से पीठ व कपाल में मारपीट किया, जो उसे चोट आकर दर्द हो रहा है। उसे माँ बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दिया, अगर उसके खिलाफ थाना में रिपोर्ट करेगी तो उसे जान से खतम कर दूंगी, ऐसी धमकी दिया। घटना पारबती और सुलेकाबाई ने देखा बीच बचाव किया। रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे।

3- प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अप0कं0-509/13 कायम कर अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 धारा-294, 323, 506 भाग-2 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 27.12.13 को नक्शा मौका

प्र0पी0 2 तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। दिनांक 27/12/13 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 5 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1—“क्या दिनांक 27/12/13 के 12:00 बजे ग्राम खानापुर आरोपी की गली के पास, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान या उसके समीप है फरियादी लक्ष्मी मोरले को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया?”

2— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?”

3— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 2 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी कडु उर्फ लक्ष्मी मोरले (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय बैल लेकर गली से जा रही थी मेरी गली से गाय बैल लेकर क्यों जाती है, ऐसा बोलकर उसके पेट में लात मार दी और उसे गिरा दी और हाथ मुक्के से उसके साथ मारपीट की, झटक कर भागी तो वह बड़े-बड़े पत्थर से मारा, पत्थर उसे नहीं लगा। मारपीट से उसके पेट में अंदरूनी चोट आई। उक्त साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है। जबकि इस गवाह के द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र0पी0 1 में उल्लेख कराया है कि उसकी भैंस ने कडु उर्फ लक्ष्मीबाई मोरले के घर के सामने तुलसी का पेड़ चर लिया, इस बात को लेकर कडु मोरले आई और उसके बाल पकड़कर उसे गिरा दिया और हाथ मुक्कों से पीट और कपाल पर मारपीट किया। इस प्रकार प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं न्यायालयीन कथन में विरोधाभास उत्पन्न होता है। फरियादी बाल पकड़कर उसे गिरा दिया और हाथ मुक्कों से पीठ और कपाल में मारपीट करने का तथ्य बताई है। किन्तु मुख्य परीक्षा में उसके पेट में लात मारना और हाथ मुक्कों से मारपीट करना बताई है। किन्तु उक्त तथ्य प्रथम सूचना प्रतिवेदन पर उल्लेख नहीं है।

7— जबकि प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5-6 में बचाव पक्ष की ओर से मुख्य परीक्षा के तथ्यों को लोप कराया गया है। साथ ही इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह और कडुबाई के बीच विवाद है वह बच्चे न होने को लेकर

विवाद है। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा है कि कडुबाई उसे बांझ बझुआ कहकर पुकारती है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि इस कारण उसने आरोपी की रिपोर्ट की थी। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में स्वयं फरियादी के द्वारा किए गए स्वीकृत तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी एवं फरियादी के बीच बच्चे न होने को लेकर पूर्व से ही रंजिश है और आरोपी कडुबाई उसे बांझ बझुआ कहती है। इस कारण फरियादी आरोपी से रंजिश रखती है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त तथ्यों की थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। ऐसी परिस्थिति में आरोपी के द्वारा फरियादी को हाथ मुक्कों से मारपीट कर चोट कारित की गई यह तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

8— क्योंकि अभियोजन साक्षी डॉ० एन०के० रोहित (अ०सा००६) ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है कि फरियादी के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गए थे। परंतु उसके शरीर में एवं उसके सिर में दर्द की शिकायत पाई गई थी, किन्तु इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि आहत को शरीर में और सिर में दर्द मौसम के बदलाव के कारण हो सकता है। अर्थात् फरियादी को अभियुक्त के द्वारा मारपीट करने से कोई दर्द नहीं पहुँचाया गया था, क्योंकि वह मौसम के बदलाव में शरीर एवं सिर में दर्द हो सकता है यदि वास्तविक रूप से अभियुक्त के द्वारा मारपीट की जाती तो फरियादी के शरीर पर किसी न किसी प्रकार की चोट एवं लालिमा के निशान आवश्यक रूप से पाए जाते। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य ने चोट आने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है, जो कि घटना घटित होने के तथ्यों की पुष्टि नहीं होती।

9— अभियोजन साक्षी हेमलता (अ०सा००२), अभियोजन साक्षी पार्वतीबाई (अ०सा००३) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका ३ में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी हैं। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी सुलकोबाई (अ०सा००४) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— अभियोजन साक्षी बिसनसिंह (अ०सा००५) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 27/12/2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी द्वारा अपराध क्रमांक 509/13 की केश डायरी विवेचना हेतु सौंपे जाने पर उसने घटना स्थल पर जाकर प्रार्थीया लक्ष्मी की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्र०पी० २ तैयार किया जिसके बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक 27/12/13 को गवाहों के समक्ष आरोपीया को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० ५ तैयार किया जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान प्रार्थीया लक्ष्मी गवाह पार्वती, हेमलता, सुलको के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उसने उसके मन से कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। यह गवाह विवेचना अधिकारी है। घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। जबकि फरियादी लक्ष्मीबाई स्वयं की साक्ष्य से घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही महत्वहीन हो जाती है।

11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्र० २ का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क० 1, 3 का निराकरण

12— अभियोजन साक्षी लक्ष्मीबाई (अ०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी ने उसे बोला था कि तुझे इतना मारूंगी कि गांड से लाल पानी निकाल दूंगी। उक्त तथ्य अश्लिलता प्रगट करता है। किन्तु उक्त तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 एवं फरियादी के 161 द०प्र०सं० के कथनों में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं हैं। इस प्रकार यही माना जायेगा कि फरियादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष बढ़ा चढ़ा कर कथन कर रही है और वह अभियुक्त को झूठा फंसाने की मंशा से कथन कर रही है। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया।

13— अभियोजन साक्षी लक्ष्मीबाई (अ०सा०१) ने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि उन्हें किस प्रकार की धमकी दी जिससे उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित हुआ। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 व 3 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

14— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी लक्ष्मी मोरले को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया। और प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार भाद०वि० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 का आरोप प्रमाणित न पाये जाने से उक्त अपराध में अभियुक्त कडु उर्फ लक्ष्मीबाई को दोषमुक्त किया जाता है।

15— प्रकरण में धारा 313 द०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं एवं अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

16— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०